न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः– लक्ष्मण सिंह कुडी
आई.ए.एस.

अपील संख्या 4/2022
मन्नालाल सोमानी पुत्र स्व0 ताराचन्द सोमानी, जाति महाजन, उम्र 86 वर्ष, निवासी ग्राम सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––अपीलान्ट

बनाम

1. सुरेश कुमार सोमानी पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राय सोमानी, जाति महाजन, निवासी सुलताना हाल निवासी करूणाभाई, हाउसिग ई–स्टेट जी फ्लेट पं0 27/1 साल्ट लेक, कोलकाता– 700091
2. महेश कुमार सोमानी पुत्र स्व0 श्री प्रहलाद राय सोमानी, जाति महाजन, निवासी सुलताना हाल निवासी 5/4/1 गुहा पार्थ, लीलवा हावडा, वेस्ट बंगाल–711204
3. सुभाष कुमार सोमानी पुत्र स्व0 श्री चानण मल सोमानी, जाति महाजन, निवासी सुलताना हाल निवासी ओम टावर 36, सी0बी0टी0 रोड कोलकाता– 700002
4. राजस्थान सरकार लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार चिडावा, जिला झुंझुनूं।

––रेस्पोडेन्ट्स

अपील बेनाराजगी नामान्तरकरण कमांक 424/15.02.1969, द्वारा ग्राम पंचायत लवाजा सुलताना, तहसील चिडावा, जिला झुंझुनूं अ0भू0 राजस्व अधिनियम धारा 75 भू–राजस्व अधिनिमय 1956

1. सुश्री पूजा शर्मा, एडवोकेट– अपीलान्ट की ओर से उपस्थित।
2. श्री यशवीर लाम्बा, एडवोकेट– रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 की ओर से उपस्थित।
3. श्री श्रवण कुमार सैनी, राजकीय अभिभाषक– रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से उपस्थित।
4. रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित।

आदेश

दिनांक 22.06.2022

उक्त विषयक अपील विद्वान तहसीलदार चिडावा के आदेश दिनांक 15.02.1969 नामान्तरकरण संख्या 424 वाके ग्राम सुलताना के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सीपीसी पर बहस सुनी गयी। अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर करने की दृष्टि से प्रार्थना पत्र दफा 5 मि0अ0 एवं प्रा0प0 अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सहपठित धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया जाता है। अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निम्नलिखित निवेदन करता है कि भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सुलताना तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं जिसके नये नम्बर गै[illegible] नम्बर 362/1 नया नम्बर खसरा नम्बर 861 रकबा 10 बिश्वा खसरा नम्बर 362/[illegible] बीघा 1 बिश्वा व खसरा नम्बर 362/3 रकबा 1 बीघा 8 बिश्वा कुल रकब[illegible] चिडावा जिला झुंझुनूं मे है। सम्वत 1999 जो तद्नानुसार 1942 [illegible] है और यह आ[illegible] से पूर्व का है व राजस्थान बनने से पूर्व का है और इस समय यह ग्राम सुल[illegible] था। जयपुर [illegible] द्वारा हिदायतें लागू होती थी व उसके पश्चात् मे जयपुर टिनेन्सी [illegible] लागू होता था। उसके[illegible] यह जमाबंदी एक वैध जमाबंदी है और सम्वत 1999 अर्थात 1972 प्रदर्श 1 है इसका खसरा नम्बर 361 था व रकबा 6 बीघा था यह स्थिति सन् 1955 तक चलती रही किन्तु सन 1955 अर्थात सम्वत् 2012 में इस भूमि के दो टुकडे हो गये, खसरा नम्बर 362/1 रकबा 5 बीघा 7 बिश्वा व खसरा नम्बर 362/2 रकबा 7 बिश्वा। इस प्रकार दोनों खसराओं का कुल योग 6 बीघा ही होता था। इसका मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 है। इस जमाबंदी इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 3 है। किन्तु सम्वत् 2012 के पश्चात सम्वत

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested

2023 तक पुनः खसरा नम्बर 862 कुल रकबा 6 के रूप में प्रदर्शित होने लगा व जमाबंदी के कॉलम 16 में इसकी वजह उल्लेखित नही की गयी अर्थात 362 में कौनसा हिस्सा किसका है। यह स्थिति शुरू से अस्पष्ट रही है। दिनांक 10.04.1968 को अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 362/3 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा को क्रय किया उस समय विक्रेताओ ने जो नक्शा बताया था और अपीलान्ट खुद कई पुश्तों से इसी ग्राम में रहता है व उसके खुद का पक्का मकान सदियों से इस जमीन से जुडा हुआ है। इसलिए उसने विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से चारों सीमाओं को बताया जिसके अनुसार पूर्व में सावंरमल सोमानी व रास्ता उतर से दक्षिण होता हुआ पूर्व से पश्चिम आम रास्ते से मिलता है। पश्चिम में नवरंग राय सोमानी की जमीन व उतर में मदनलाल सोमानी व ताराचंद सोमानी व मोतीलाल सोमानी की है व दक्षिण में श्री बैजनाथ सोमानी की भूमि है। यह स्पष्ट उल्लेख विक्रय पत्र मे है। यह विक्रय पत्र इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 4 है। इस तथ्य की पुष्टि न केवल इस विक्रय पत्र से होती है बल्कि अपर जिला न्यायाधीश चिडावा, जिला झुंझुनूं के निर्णय दिनांक 13.08.2020 वाद क्रमांक 129/16 सुशील कुमार सोमानी बनाम सुभाष कुमार सोमानी वगैरह के निर्णय व उसके साथ सलंग्न डिक्री व नक्शा मौका से होती है जो कि इस अपील के साथ प्रदर्श 5 है। वर्तमान राजस्व नक्शे में जो स्थिति बनाई है व मौके से विपरीत है। क्योकि इस नक्शे मे 1432/861 जिसका पुराना नम्बर 362/43 दर्शाया गया है। इनकी स्थिति खसरा नम्बर 861 की होनी चाहिये थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 861 जिसका पुराना नम्बर 362/1 है की स्थिति (362/3) पुराना नम्बर 1432/861 की होनी चाहिये थी। यह लेटेस्ट नक्शों की स्थिति प्रदर्श 6 है जो वास्तविकता के अनुरूप नही है। विक्रय पत्र दिनांक 10.04.1968 के साथ अपीलान्ट ने कोई नक्शा पेश नही किया था व किसी ऐसे नक्शे पर अपीलार्थी को हस्ताक्षर भी नही है खसरा नम्बर 361 सम्वत् 2023 तक एक ही पूरा टुकडा था यदि 2023 के बाद में इसके टुकडे खसरा नम्बर 362/1 व खसरा नम्बर 362/2 व खसरा नम्बर 362/3 के रूप में किये गये थे तो उसका उल्लेख जमाबन्दी के कॉलम 16 में होना चाहिए था जैसा राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957. के अनुसार आवश्यक है। खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बीघा के जब टुकडे किये गये तब भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के रूल 60 (IV) क के अनुसार व रूल 62 की हिदायतो के अनुसार ही किया जाना चाहिए था यह कि रूल 60 (IV) क निम्न प्रकार से है। (IV) चालू नक्शे में दुरूस्तियां निम्न परिस्थितियों में की जायेगीः– (क) नियम 62 में दी गई हिदायत के अधीन रहते हुए जब कभी यह मालूम हो कि कोई खेत दो या दो से अधिक खेतों में बांटा गया है, तो प्रत्येक खेत की उसकी मूल संख्या को अंश (भिन्न के उपर वाली संख्या) के रूप में और खण्ड संस्था को हर (भिन्न के निम्न वाली संख्या) के रूप में अलग अलग नम्बर दिया जाएगा, लेकिन यदि खेत भोगाधिकार के एक ही किस्म के अन्तर्गत उसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो और एक ही पट्टी या खाते में हो, तो उनको अलग–अलग नम्बर देने की जरूरत नही है, जबकि ऐसी दशा में उक्त हिस्सो का केवल बिन्दु रेखाओ द्वारा दिस्तम्भ चाहिए। यदि भिन्न वाली संख्या के खेत फिर से वापस इस प्रकार मिल जाये कि जिससे वैसे ही खेत बन जाये, जैसा कि अन्तिम सर्वे के समय था तो भिन्न वाली संख्याओ को हटा दी जायेगी और पुरानी मूल संख्या फिर से लागू की जायेगी। राजस्व रिकार्ड व नक्शें की शुद्धि की सूचना नियम 59 के अनुसार राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के अनुसार पटवारी को आफिस कानूनगो और सदर कानूनगो को प्रेषित कर तहसीलदार से इसकी पुष्टि करवानी चाहिए थी वास्तव में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है और यह भी सत्य है कि खसरा नम्बर 362/3 कि स्थिति जो अपीलार्थी ने अपने विक्रय पत्र की चारो सीमाओ में प्रदर्शित किया है वही पटवारी हल्का ने 4 वर्ष तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर दी। नामांतरकरण संख्या 424 दिनांक 15.02.1969 में नक्शा परिवर्त[illegible] रही है जो इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 7 है। नामांतरकरण दिनांक 15.02.1969 [illegible] प्रदर्श 7 में जो नोट लगाया गया है द्वारा सरपंच प्रहलाद राय द्वारा उससे [illegible] 362 मे से 1 बीघा 8 बिस्वा का नामांकन करना चाहता है यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विक्रय पत्र दिनांक 10.04.1968 को पंजीबद्ध हो चुका था और एक लम्बा समय नामांकन खुलने मे लगा जिस समय का उपयोग पटवारी व सरपंच ने राजस्व रिकार्ड में हेरा फेरी के [illegible] किया पटवारी रतिराम ने 16.06.1968 को नामांकन हेतु आवेदन का उल्लेख किया है उसमें आवेदन की वजह विक्रय रजिस्ट्री होना बताया है किन्तु उसके बावजूद भी रजिस्ट्री पेश नही होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। पुनः 27.12.1968 को नोट लगाया गया रजिस्ट्री पेश कर रखी है पंचायत को पेश हो जबकि यह प्रकरण पटवारी को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 125 के अनुसार मौके पर किस–किस प्रकार से कब्जा है उसकी जांच करनी थी व नक्शे की विवादित स्थिति का संज्ञान

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार चिडावा के संज्ञान में लाना चाहिए था यह कि विवादित नामाकरणो के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का निर्णय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है चूंकि यह नामांतरकरण एंब इनिश्यो वाईड है। नक्शे के संदर्भ में इसलिए इसे चुनौती दी जा सकती है यह कि खसरा नम्बर 362 में से टुकडे हुए खसरा नम्बर 861 व 862 में नेतराम के परिवार के लोगो का उल्लेख कैसे हो गया यह पटवारी रतिराम ने स्पष्ट नही किया है कि 861 की जमाबन्दी प्रदर्श 8 है व खसरा नम्बर 862 की जमाबन्दी प्रदर्श 9 है। खसरा नम्बर 1432/861 पर स्व0 संतोष कुमार सोमानी की पत्नी श्रीमती उमा सोमानी ने बहुत उंची बाउड्रीवाल बना रखी है कमरा भी बना हुआ है बिजली पानी और टेलीफोन के कनेक्शन भी लगे हुए है और पत्थर की बाउड्रीवाल बना रखी है। कमरा भी बना हुआ है बिजली पानी और टेलिफोन के कनेक्शन भी लगे हुए है इसी प्रकार खसरा नम्बर 879 पर श्री मन्नालाल सोमानी जी का कब्जा है और पत्थर की बाउण्ड्रीवाल है व खसरा नम्बर 879 में श्री मन्ना लाल व उनके परिवार का पक्का आवास बना हुआ है। खसरा नम्बर 361/2 वर्ष 2026 से 2030 को जमाबन्दी में सांवरमल पुत्र दुर्गादत्त जाति महाजन का बताया गया है नवीन प्रविष्टियां कैसे आयी इसका कोई उल्लेख नही है यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में दिखाई गयी नक्शे की स्थिती राजस्व नियम व रिकॉर्ड के विपरीत है जमाबन्दी सम्वत 2026 बाबत खसरा नम्बर 362/2 प्रदर्श 10 के रूप में संलग्न है यह कि शेष आधार बरवक्त बहस मौखिक अर्ज किये जायेगे। अपील प्रस्तुत कर अपीलार्थी निम्न निवेदन करता है कि अपील अपीलान्ट मन्जूर फरमायी जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर मौके की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बरों का उल्लेख किया जावे व जो जिस हिस्से पर काबिज है उसके अनुरूप ही नक्शे व राजस्व रिकार्ड में आयी भिन्नता को समाप्त किया जाये। अन्य अनुतोष व बहस अपीलार्थी न्यायालय उचित समझे फरमाया जावे। अतः अपील अपीलान्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने का आदेश फरमावे।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई। विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील तथ्यों की पुनरावर्ती की तथा तर्क प्रस्तुत किया कि भूमि खसरा नम्बर 361 रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सुलताना तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं जिसके नये नम्बर गैर कानूनी रूप से 3 टुकडे खसरा नम्बर 362/1 नया नम्बर खसरा नम्बर 861 रकबा 10 बिश्वा खसरा नम्बर 362/2 रकबा 4 बीघा 1 बिश्वा व खसरा नम्बर 362/3 रकबा 1 बीघा 8 बिश्वा कुल रकबा 6 बीघा वाके ग्राम सुलताना तहसील चिडावा जिला झुंझुनूं मे है। सम्वत 1999 जो तद्नानुसार 1942 होता है और यह आजादी से पूर्व का है व राजस्थान बनने से पूर्व का है और इस समय यह ग्राम सुलताना जयपुर रियासत का भाग था। जयपुर रियासत द्वारा हिदायतें लागू होती थी व उसके पश्चात् मे जयपुर टिनेन्सी एक्ट लागू होता था। उसके अनुसार यह जमाबंदी एक वैध जमाबंदी है और सम्वत 1999 अर्थात 1972 प्रदर्श 1 है इसका खसरा नम्बर 361 था व रकबा 6 बीघा था यह स्थिति सन् 1955 तक चलती रही किन्तु सन 1955 अर्थात सम्वत् 2012 में इस भूमि के दो टुकडे हो गये, खसरा नम्बर 362/1 रकबा 5 बीघा 7 बिश्वा व खसरा नम्बर 362/2 रकबा 7 बिश्वा। इस प्रकार दोनों खसराओं का कुल योग 6 बीघा ही होता था। इसका मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 2 है। इस जमाबंदी इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 3 है। किन्तु सम्वत् 2012 के पश्चात सम्वत 2023 तक पुनः खसरा नम्बर 862 कुल रकबा 6 के रूप में प्रदर्शित होने लगा व जमाबंदी के कॉलम 16 में इसकी वजह उल्लेखित नही की गयी अर्थात 362 में कौनसा हिस्सा किसका है। यह स्थिति शुरू से अस्पष्ट रही है। दिनांक 10.04.1968 को अपीलान्ट ने भूमि खसरा नम्बर 362/3 रकबा 1 बीघा 5 बिश्वा को कय किया उस समय विक्रेताओ ने जो नक्शा बताया था और अपीलान्ट खुद कई पुश्तों से इसी ग्राम में रहता है व उसके खुद का पक्का मकान सदियों से इस जमीन से जुडा हुआ है। इसलिए उसने विक्रय पत्र में स्पष्ट रूप से चारों सीमाओं का [illegible] अनुसार पूर्व में सांवरमल सोमानी व रास्ता उतर से दक्षिण होता हुआ पूर्व से पश्चिम आम [illegible] मिलता है। पश्चिम में नवरंग राय सोमानी की जमीन व उतर में मदनलाल [illegible] व [illegible] व मोतीलाल सोमानी की है व दक्षिण में श्री बैजनाथ सोमानी की भूमि [illegible] है। यह विक्रय पत्र इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 4 है। इस [illegible] इस विक्रय पत्र से होती है बल्कि अपर जिला न्यायाधीश चिडावा, जिला झुंझुनूं के निर्णय दि[illegible] 13.08.2020 वाद कमांक 129/16 सुशील कुमार सोमानी बनाम सुभाष कुमार सोमानी वगैरह के निर्णय व उसके साथ सलंग्न डिकी व नक्शा मौका से होती है जो कि इस अपील के साथ प्रदर्श 5 है। वर्तमान राजस्व नक्शे में जो स्थिति बनाई है व मौके से विपरीत है। क्योकि इस नक्शे मे 1432/861 जिसका पुराना नम्बर 362/43 दर्शाया गया है। इनकी स्थिति खसरा नम्बर 861 की होनी चाहिये थी। इसी प्रकार खसरा नम्बर 861

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested

जिसका पुराना नम्बर 362/1 है की स्थिति (362/3) पुराना नम्बर 1432/861 की होनी चाहिये थी। यह लेटेस्ट नक्शों की स्थिति प्रदर्श 6 है जो वास्तविकता के अनुरूप नही है। विक्रय पत्र दिनांक 10.04.1968 के साथ अपीलान्ट ने कोई नक्शा पेश नही किया था व किसी ऐसे नक्शे पर अपीलार्थी को हस्ताक्षर भी नही है खसरा नम्बर 361 सम्वत् 2023 तक एक ही पूरा टुकडा था यदि 2023 के बाद में इसके टुकडे खसरा नम्बर 362/1 व खसरा नम्बर 362/2 व खसरा नम्बर 362/3 के रूप में किये गये थे तो उसका उल्लेख जमाबन्दी के कॉलम 16 में होना चाहिए था जैसा राजस्थान भू राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के अनुसार आवश्यक है। खसरा नम्बर 362 रकबा 6 बीघा के जब टुकडे किये गये तब भू–राजस्व (भू–अभिलेख) नियम 1957 के रूल 60 (IV) क के अनुसार व रूल 62 की हिदायतो के अनुसार ही किया जाना चाहिए था यह कि रूल 60 (IV) क निम्न प्रकार से है। (IV) चालू नक्शे में दुरूस्तियां निम्न परिस्थितियों में की जायेगीः– (क) नियम 62 में दी गई हिदायत के अधीन रहते हुए जब कभी यह मालूम हो कि कोई खेत दो या दो से अधिक खेतों में बांटा गया है, तो प्रत्येक खेत की उसकी मूल संख्या को अंश (भिन्न के उपर वाली संख्या) के रूप में और खण्ड संस्था को हर (भिन्न के निम्न वाली संख्या) के रूप में अलग अलग नम्बर दिया जाएगा, लेकिन यदि खेत भोगाधिकार के एक ही किस्म के अन्तर्गत उसी एक व्यक्ति के कब्जे में हो और एक ही पट्टी या खाते में हो, तो उनको अलग–अलग नम्बर देने की जरूरत नही है, जबकि ऐसी दशा में उक्त हिस्सो का केवल बिन्दु रेखाओ द्वारा दिस्तम्भ चाहिए। यदि भिन्न वाली संख्या के खेत फिर से वापस इस प्रकार मिल जाये कि जिससे वैसे ही खेत बन जाये, जैसा कि अन्तिम सर्वे के समय था तो भिन्न वाली संख्याओ को हटा दी जायेगी और पुरानी मूल संख्या फिर से लागू की जायेगी। राजस्व रिकार्ड व नक्शें की शुद्धि की सूचना नियम 59 के अनुसार राजस्व भू अभिलेख नियम 1957 के अनुसार पटवारी को आफिस कानूनगो और सदर कानूनगो को प्रेषित कर तहसीलदार से इसकी पुष्टि करवानी चाहिए थी वास्तव में ऐसा कोई रिकार्ड उपलब्ध नही है और यह भी सत्य है कि खसरा नम्बर 362/3 कि स्थिति जो अपीलार्थी ने अपने विक्रय पत्र की चारो सीमाओ में प्रदर्शित किया है वही पटवारी हल्का ने 4 वर्ष तत्कालीन सरपंच से मिलीभगत कर राजस्व रिकॉर्ड में हेरा फेरी कर दी। नामांतरकरण संख्या 424 दिनांक 15.02.1969 में नक्शा परिवर्तन हेतु यह अपील प्रस्तुत की जा रही है जो इस अपील के साथ संलग्न प्रदर्श 7 है। नामांतरकरण दिनांक 15.02.1969 संख्या 424 प्रदर्श 7 में जो नोट लगाया गया है द्वारा सरपंच प्रहलाद राय द्वारा उससे उल्लेख है कि अपीलार्थी खसरा नम्बर 362 मे से 1 बीघा 8 बिस्वा का नामांकन करना चाहता है यहां यह भी स्पष्ट करना आवश्यक है कि यह विक्रय पत्र दिनांक 10.04.1968 को पंजीबद्ध हो चुका था और एक लम्बा समय नामांकन खुलने मे लगा जिस समय का उपयोग पटवारी व सरपंच ने राजस्व रिकार्ड में हेरा फेरी के लिए किया पटवारी रतिराम ने 16.06.1968 को नामांकन हेतु आवेदन का उल्लेख किया है उसमें आवेदन की वजह विक्रय रजिस्ट्री होना बताया है किन्तु उसके बावजूद भी रजिस्ट्री पेश नही होने के आधार पर खारिज कर दिया गया। पुनः 27.12.1968 को नोट लगाया गया रजिस्ट्री पेश कर रखी है पंचायत को पेश हो जबकि यह प्रकरण पटवारी को तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए था व भू–राजस्व अधिनियम की धारा 125 के अनुसार मौके पर किस–किस प्रकार से कब्जा है उसकी जांच करनी थी व नक्शे की विवादित स्थिति का संज्ञान तहसीलदार चिडावा के संज्ञान में लाना चाहिए था यह कि विवादित नामाकरणो के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार का निर्णय करने का कोई अधिकार प्राप्त नही है चूंकि यह नामांतरकरण एंब इनिश्यो वाईड है। नक्शे के संदर्भ में इसलिए इसे चुनौती दी जा सकती है यह कि खसरा नम्बर 362 में से टुकडे हुए खसरा नम्बर 861 [illegible] के लोगो का उल्लेख कैसे हो गया यह पटवारी रतिराम ने स्पष्ट नही किया है कि 86[illegible] जमाबन्दी प्रदर्श 8 है व खसरा नम्बर 862 की जमाबन्दी प्रदर्श 9 है। खसरा नम्बर [illegible] सोमानी की पत्नी श्रीमती उमा सोमानी ने बहुत उंची बाउड्रीवाल बना रखी है कमरा [illegible] हुआ है बिजली पानी और टेलीफोन के कनेक्शन भी लगे हुए है और पत्थर की बाउड्रीवाल बना रखी है। कमरा भी बना हुआ है बिजली पानी और टेलिफोन के कनेक्शन भी लगे हुए है इसी प्र[illegible] खसरा नम्बर 879 पर श्री मन्नालाल सोमानी जी का कब्जा है और पत्थर की बाउण्ड्रीवाल है व खसरा नम्बर 879 में श्री मन्ना लाल व उनके परिवार का पक्का आवास बना हुआ है। खसरा नम्बर 361/2 वर्ष 2026 से 2030 को जमाबन्दी में सांवरमल पुत्र दुर्गादत्त जाति महाजन का बताया गया है नवीन प्रविष्टियां कैसे आयी इसका कोई उल्लेख नही है यह कि अपीलाधीन नामान्तरकरण में दिखाई गयी नक्शे की स्थिती राजस्व नियम व रिकॉर्ड के विपरीत है अतः अपील अपीलान्ट मन्जूर फरमायी जाकर प्रकरण को रिमाण्ड किया जाकर मौके की स्थिति के अनुसार खसरा नम्बरों का उल्लेख किया जावे व जो जिस हिस्से पर काबिज है

Signature Not Verified
Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested

उसके अनुरूप ही नक्शे व राजस्व रिकार्ड में आयी भिन्नता को समाप्त किया जाये। अन्य अनुतोष व बहस अपीलार्थी न्यायालय उचित समझे फरमाया जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट सं0 1 व 2 ने वकील अपीलान्ट के कथनों का समर्थन कर अपील अपीलान्ट स्वीकार करने का निवेदन किया।

राजकीय अभिभाषक ने रेस्पोडेन्ट सं0 4 की ओर से अपीलान्ट के कथनों का विरोध कर तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलान्ट ने सरपंच ग्राम पंचायत सुलताना के आदेश के विरूद्व यह अपील पेश की है। सरपंच ग्राम पंचायत सुलताना द्वारा पारित आदेश की अपील न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मे सुनी जा सकती है। यह अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेन्ट सं0 3 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित। उनकी अनुपस्थिति मे बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन एवं दस्तावेजों से साफ जाहिर है कि अपीलान्ट द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत सुलताना के आदेश दिनांक 15.02.1969 के विरूद्व यह अपील पेश की गई है। सरपंच ग्राम पंचायत सुलताना के विरूद्व अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को नही है। अतः अपील अपीलान्ट निरस्त की जाती है। अपीलान्ट न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जो कि इस अपील का सुनने के लिए सक्षम है के समक्ष अपनी अपील प्रस्तुत करे। रेकार्ड मातहत अदालत मय आदेश प्रति लौटाया जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल0एस0कुडी)
जिला कलक्टर,
जिला कलक्टर झुन्झुनूं

Signature Not Verified

Digitally signed by Laxman Singh Kuri
Date: 2022.06.27 16:33:13 IST
Reason: SelfAttested